

12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED REDUCTION IN THE PROCUREMENT
PRICE OF WHEAT AND CONSEQUENT
RESENTMENT AMONG PEASANTS

श्री कमल मिश्र मधुकर (केसरिया) अध्यक्ष महोदय, मैं अबिलम्बनीय लोक महत्व के निम्न-लिखित विषय की ओर कृषि मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि व इस बारे में वक्तव्य दें :

‘गेहूँ की बसूली की कीमत हटाई जाने और उसके परिणामस्वरूप पंजाब और देश के अन्य भागों में किसानों में व्याप्त रोष के समाचार।’

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI F. A. AHMED) : Government have not yet taken a decision regarding the level of procurement price of wheat for the 1972-73 marketing season. During the last year the procurement prices of Red (indigenous) were fixed between Rs. 71/- and Rs. 74/ per quintal and the prices of all other varieties at Rs. 76/- per quintal. In their Report on "Price policy for rabi foodgrains for 1972-73 season" the Agricultural Prices Commission have recommended that 'the procurement prices of wheat be fixed uniformly for all the States at Rs. 66/- per quintal for the indigenous Red and Rs. 72/- per quintal for the indigenous common white and different Mexican varieties'.

Government have seen press reports regarding the resentment among the peasants in Punjab and other parts of the country against this recommendation of the Commission. Various views have been expressed in favour and against the views of the Commission through press and other media. The question of fixation of wheat prices for the ensuing rabi season, is under consideration of the Government and a final decision, will be taken only after considering the views of the Honourable Members and the Chief Ministers of States who are meeting in conference on the 13th and 14th April, 1972.

Government have adopted the policy of

price support to the farmers, to ensure that the producer gets an incentive price, the consumer gets foodgrains at a reasonable price and the present trend of foodgrain output is sustained. To achieve these objectives of the price policy, the Food Corporation of India has been especially created to undertake massive marketing operation. In deciding the procurement price of wheat for the coming marketing season, Government will ensure that both the interest of the producer and the consumer are fully protected.

श्री कमल मिश्र मधुकर : अध्यक्ष महोदय, जो बयान मन्त्री महोदय ने दिया है उस बयान से समस्याओं का निदान कैसे होगा और और समस्यायें कैसे पैदा हुई हैं इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। यह सवाल इसलिये महत्वपूर्ण हो गया है कि ट्रेडिशनली गेहूँ उपजाने वाले एरियाज पंजाब और हरयाणा के अलावा राज जो खेती में तरक्की हुई है उससे उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में भी गेहूँ की पैदावार में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। हमारे बिहार में भी और खासकर चम्पारन जिले में जहां केवल धान पैदा होता था, वहां भी गेहूँ की पैदावार हो रही है, लेकिन यह सवाल क्यों पैदा हुआ ? यह इसलिये पैदा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ लोक सभा में ; फिर ऐग्रीकल्चर प्राइस कमिशन की रिपोर्ट आई, उसमें आश्चर्य व्यक्त की गई कि गेहूँ की खेती में लोग अधिक लग गए हैं और दूसरी कौश क्राप्स की ओर ध्यान कम दे रहे हैं, जैसे दाल और तेलहन वगैरह है, तो उसके चलते आश्चर्य पैदा की गई कि गेहूँ की प्रोस्पेक्टिव प्राइस बढ़ा दी जाय जिससे लोग कौश क्राप्स की तरफ भी ध्यान दें। साथ ही इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा प्रचार करने में और जो रोस पैदा किया जा रहा है, उसमें बड़े काश्तकारों का भी हाथ है। वह इसलिए भी होता है, यह बात भी सत्य है कि बेनी के मामले में अधिक संशोधनों के प्रयोग करने और संशोधनों की अधिक कीमतें बढ़ने, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ जाने तथा सिंचाई रेट में भी वृद्धि हो जाने के कारण, जैसे कि हमारे बिहार में ही सरकार

की 25 प्रतिशत सिंचाई का रेट बढ़ाने की योजना है, इन सब कारणों से धीरे-धीरे उसके बाद किसानों को अपना कच्चा माल बेचने के बाद जो उसको अपने स्तेमाल के लिए माल खरीदना पड़ता है उसमें अधिक दाम देना पड़ता है, इन सबसे गेहूँ की कास्ट आफ प्रोडक्शन आज अधिक बढ़ गई है जो नई खेती की प्रणाली के चलते हो रहा है। तो आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन साथ एक बात और भी है, दूसरा पहलू भी इसका है कन्ज्यूमर साइड और जितने वेतनभोगी लोग हैं, जो शहरों में रहने वाले हैं, गरीब किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं या सरकारी कर्मचारी हैं जिनको गेहूँ खरीदना पड़ता है उनका सवाल भी इस बात पर विचार करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि आपके देश में पूँजीवादी मार्केटिंग सिस्टम के चलते किसानों की दोहरी लूट होती है। एक तरफ अपना कच्चा माल जो है, वह छोटे-छोटे किसान फसल के दिनों में बेच देते हैं सस्ते दामों पर। लेकिन वही गेहूँ वह खरीदने जाएंगे तो उनको उसका ज्यादा दाम देना पड़ेगा। ऐसे ही धान और दूसरी फसलों के मामले में होता है। तो जब सरकार की तरफ से यह एलान किया गया है कि हमारा लक्ष्य समाजवाद है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के जरिए या फूड कारपोरेशन के जरिए पूरे अन्न के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने जा रही है या नहीं? क्या इस बात के लिए सरकार गारंटी करने जा रही है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस इस साल गेहूँ की ज्यों की त्यों रखी जायेगी और आइन्दा साल भर पहले ही सरकार गेहूँ की प्रोक्योरमेंट प्राइस या दूसरी चीजों की प्रोक्योरमेंट प्राइस एलान कर देगी ताकि किसान अपनी खेती के पैटर्न को बदल सके और उसी के अनुरूप अपने को ढाल सके? क्या सरकार इस बात के लिए भी

तैयार है या नहीं कि एक तरफ जो किसानों को सस्ते दाम पर अपना माल बेच देना पड़ता है और दूसरी तरफ कपड़ा चीनी आदि अपने काम की चीजें अधिक दाम पर लेनी पड़ती हैं, तो इन दोनों में बैलेंस कायम किया जाय ताकि प्राइस सेबल जो है उसमें संतुलन रह सके? और क्या इस बात के लिए सरकार का विचार है या नहीं कि ऐसी सीमा वह तय कर दे कि जिसमें छोटे किसान जो सामान बेचते हैं वह आप की जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है उसके अनुसार उनसे लिया जाय और बड़े काश्तकारों से लेवी के रूप में आप अन्न लें, गेहूँ लें और प्राइस कमीशन बे जो सुझाव दिया है उस दर पर उनसे गेहूँ लिया जाय? तो इन सबालों के विषय में आप साफ तौर से बताइए कि आप कब तक फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के जरिए तमाम अन्न के थोक व्यापार को पूरा का पूरा अपने हाथ में लेने जा रहे हैं और उस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

SHRI F. A. AHMED. The hon. Member has advanced arguments in favour of retaining the present procurement price of wheat as also reasons against reduction of the price.

As I have pointed out in my statement, at present, the Government are considering various views expressed in this behalf both by the Members of Parliament, the Members of the Consultative Committee and the members of the Farmers' Forum and the views expressed in the Press for and against the increase of price and after consulting the Chief Ministers, a decision will be taken in this behalf and I hope, in taking a decision, we shall see that the interests of the producer as well as the consumer are kept in view.

श्री कमल जिन मजुमदार : आपने यह नहीं बताया कि फूड कारपोरेशन पूरा अन्न का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने जा रही है या नहीं?

SHRI F. A. AHMED : So far as the Food Corporation are concerned, they are going to take up the procurement of food-grains on a massive scale,

श्री सतपाल कपुर (पटियाला) : स्वीकर साहब, इस मामले ने पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यू० पी० गार्जें कि सारे मुल्क के किसानों में एक नई लहर पैदा की है। जरूरत तो इस बात की थी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर के बारे में किस तरह प्रोडक्शन होगी, किस कीमत पर लेंगे—इन सबके बारे में एक सीधी और साफ पालिसी बनाती और यह तय करती कि हमारी क्रम पात्रिसी क्या होगी। लेकिन हो क्या रहा है—हम उस वक्त कीमत मुकारर करते हैं जब पैदावार आ जाती है, जब किसान उस पर अपनी लागत लगा बैठता है। पिछले साल से लेकर अब तक हमारे एग्रीकल्चरल इन्पुट्स की कीमत बढ़ी है, गवर्नमेंट की अपनी ऐजेन्सीज यह बताती हैं—प्रोडिग कास्ट पिछले साल आपने 100 रु० प्रति एकड़ रखी थी, नो-प्रॉफिट-नो लास के बेसिज पर उसको तय किया था, लेकिन इस साल आप 120 रु० प्रोडिग कास्ट ले रहे हैं। फर्टिलाइजर की कास्ट बढ़ी है, ट्रेक्टर की कास्ट बढ़ी है। लेकिन अब जब प्रोडक्शन आई है तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी कोई पालिसी ही नहीं है, हम को कोल्ड-फीवर हो गया है, पैदावार ज्यादा देख कर घबराहट हो गई है।

जहां तक सन्सिडी का ताल्लुक है—आप हमें बता रहे हैं कि 120 करोड़ रु० सन्सिडी पर खर्च होगा, 100 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है, लेकिन तकरीबन 55 करोड़ रुपया आप जो इस वक्त खर्च कर रहे हैं, इसमें से बचा सकते हैं। आप इसमें से 40 करोड़ रुपया किस को देते हैं? मिडिल-मैन देते हैं? मिडिल-मैन कौन है? वह मिल-अनर है, जो गन्दुम पीसता है, जो डीपो चलाता है, उसको आप 40 करोड़ रुपये की बोरियां फ्री दे रहे हैं। सन्सिडी की जरूरत कन्ज्यूमर को है, प्रोड्यूसर को है, लेकिन उनको आप कुछ नहीं दे रहे हैं, बल्कि मिल-अनर को 40 करोड़ रुपया दे रहे हैं। अब हम वक्त जो 20 करोड़ रुपये की कमी है, अगर आप 40 करोड़

रुपया जो मिल-अनर को बोरी की कीमत की शकल में दे रहे हैं, बचा लें तो यह घाटा पूरा हो सकता है।

दूसरी तजवीज यह है कि आप पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यू० पी० से 76 रु० में अनाज लेते हैं, उस पर 2 रु० गवर्नमेंट की कास्ट आती है, 78 रु० में आप दूसरे सूबों को बेच बेते हैं, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल को बेचते हैं और वहाँ पर आपने स्टेट्स को एलाउ किया है कि वे 84 रु० और 86 रु० थे कन्ज्यूमर को दे। वे कह रहे हैं कि यह हमारा रेकरिंग खर्चा है। इसको आप बचा सकते हैं, रोक सकते हैं और इसमें से आधी कीमत बचा कर सेंट्रल पूल में पैसा डालें तो फिर किमान को सन्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती—इन प्वाइन्ट्स की तरफ आपको देखना चाहिये।

तीसरी बात—पंजाब और हरियाणा के जो आकड़े मुझे मिले हैं, उनके मुताबिक 230 करोड़ रुपया पंजाब और हरियाणा के किसानों को बैंक का कर्जा देना है। इसलिये अगर आप अब कीमत घटाये तो उसकी लोन वापस करने की कैपसिटी कम हो जायेगी, वह बैंक से लिया हुआ कर्जा वापस नहीं कर पायेगा। अगर बैंकों से लिया कर्जा वापस नहीं कर पायेगा तो अपनी फसल के लिए बैंक उसको नया कर्जा नहीं देंगे—इस नये क्राइसिस को रोकना चाहिए। इसलिए एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने जो रिकमेन्डेशन्स की हैं, वे अन-रीयलिस्टिक हैं, वे आज के हालात के मुताबिक नहीं हैं, उसमें किसानों के नुमाइन्दे नहीं थे। कमीशन ने देखा कि पी०एल० 480 का कितना कुशन हमें मिलता है, आज उसका जो इम्पोर्ट बन्द कर रहे हैं, उससे कितना नुकसान होगा, उस नुकसान को प्रोड्यूसर कितना उठाये, यह सोच कर उन्होंने रिकमेन्डेशन दे दी है, जो आज के हालात के मुताबिक नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो तजवीज मैंने दी है—40 करोड़ रुपये की बोरी के बारे में या दूसरे सूबों में जो

ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, वहां पर इन-एफिसियेन्सी को रोक कर रुपया सैन्ट्रल पुल में लाइये और जो 50-55 करोड़ रुपये के दर-मियान रुपया जाया किया जा रहा है, इससे किसानों को सक्सिडी दी जा सकती है और कन्स्यूमर की मदद की जा सकती है।

भाज हमारे कई साथी कहते हैं कि यह कुलक-क्लास है, लैन्डेड एरिस्टोक्रैसी बन रही है। लैन्डेड एरिस्टोक्रैसी हो सकती है, लेकिन 5 एकड़ वालों को क्या कहेंगे, 10 एकड़ वालों को क्या कहेंगे, 15 एकड़ वालों को क्या कहेंगे, ग्राप को रंगदार ऐनक लगा कर नहीं बैठना चाहिए। उन साथियों को पंजाब, हरियाणा और वैस्टर्न यू०पी० में जो अनाज पैदा करते हैं, उन किसानों को देखना चाहिए, उनकी इकानामिक हालत को देखना चाहिये।.....(व्यवधान)...

मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ—ग्राप सीलिंग लागू कीजिये, हम सपोर्ट करेंगे, पंजाब में भी अब सीलिंग करने की बात आई है, हम उसके हक में नहीं हैं, लेकिन ग्राप एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाइए हम उसको सपोर्ट करेंगे, ग्राप सीलिंग लागू कीजिए—हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर ग्राप एग्रीकल्चर इकानामी इस्ट्राय करेंगे तो उसकी मुखालफत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न क्या पूछा ? आप ने तो मशविरते दिये हैं, प्रश्न नहीं पूछा।

श्री सतपाल कपूर : मैंने तीन सवाल पूछे हैं...

SHRI F. A. AHMAD : The hon. member has made a suggestion which will be considered.

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (संबलौर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, लेकिन इसमें कहीं भी यह दिखाई नहीं पड़ा कि माननीय मंत्री जी किसानों को राहत पहुंचाने या उनके हित हों, इस दृष्टि से कुछ विचार रखते हों। जहां तक किसानों के प्रदर्शन का सवाल है, उसके

बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगा कि देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, या सब विश्वविद्यालयों ने जो मत व्यक्त किये हैं, उस दृष्टि से गेहूं की लागत मूल्य 95 रुपये कम से कम बैठती है, ऐसी स्थिति में ग्राप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। आपने एक बात जरूर कही है कि हम न तो उत्पादन घटाने के पक्ष में हैं और न उपभोक्ताओं की महंगे दायों पर देने के पक्ष में हैं, उत्पादक को भी ठीक दाम मिले, इस दृष्टि से इन तीनों में ठीक ताल-मेल बैठाने की ग्राप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ताल-मेल बैठाने की दृष्टि से किसानों का जो लागत मूल्य है—बीज, सिंचाई, कटाई, मजिया तक ले जाने की दुलाई—इन सब पर जो खर्च आता है, क्या आप के कमीशन ने इन सब के बारे में विचार किया है और सरकार उससे सन्तुष्ट है ? अगर नहीं किया है तो उसने इन बातों को क्यों छोड़ा, कृषि मूल्य आयोग का जो मानदण्ड है, वह क्या है ?

ग्राप का प्रोक्वॉमेंट पर आने वाला खर्च पिछले वर्षों में 11% तथा 24% तक रहा और इस वर्ष आप ने खर्च कौसे निर्धारित किया है और वास्तविक जो खर्च होनेवाला है, वह कितना है ? मेरा मत है कि प्रोक्वॉमेंट पर जो वास्तविक खर्च होता है लगभग 6% बैठता है यदि आप उसको ही लेवे तो उत्पादक को पूरे दाम मिलेगे और उपभोक्ता को सस्ते मूल्य पर दे सकते हैं तथा किसानों में अनाज पैदा करने की रुचि बढ़ सकती है। बर्ना जैसे अन्य नकद फसलों का उत्पादन घट रहा है, वही स्थिति यहां भी आ सकती है। वास्तव में अभी तक ग्राप की कोई नीति ही नहीं रही है। यदि प्रमुख वस्तु का मूल्य साल भर पहले या 6 महीने पहले घोषित कर दिया जाय तो किसान उस तरफ प्रोत्साहित होकर आगे आयेगा। कृषि की अनिश्चित नीति के कारण आज किसान का मनोबल टूट रहा है।

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

गेहूँ का उत्पादन बढ़ा है। चावल का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन और दूसरी बाणिज्य फसलों का उत्पादन घटा है। यदि गेहूँ का उत्पादन बढ़ा है और उसके लिए प्रोत्साहन मूल्य नहीं दिए गए बल्कि मूल्यों को कम करने की बात की गई जैसे कि सरकार 66 रुपया प्रति क्वींटल गेहूँ का दाम रखना चाहती है तो उससे किसानों का मनोबल टूट जायेगा और उत्पादन पुनः घटेगा। तो इस सम्बन्ध में सरकार कौन-सा विचार कर रही है कि उपभोक्ता को उचित कीमत पर अनाज मिले और किसान को भी गेहूँ की उपज का लागत के हिसाब से सही दाम मिले क्योंकि अब किसान की उपज की लागत बहुत ज्यादा हो गई है, 110 और 115 रुपया प्रति क्वींटल की लागत बैठती है। 75 अथवा 76 रुपये प्रति क्वींटल का भाव सरकार ने जो रखा था उससे भी उससे छोटे किसान बहुत पीड़ित हैं। श्रीमन् हमारे मध्य प्रदेश में एक सैम्पल सर्वे हुआ था, रीवा में कृषकों का एक प्रशिक्षण केन्द्र है वहाँ पर किए गए सैम्पल सर्वे के अनुसार लागत मूल्य प्रति क्वींटल 105 रुपए छोटे किसानों के लिए आई और बड़े किसानों के लिए कुछ कम बँदी। तो किसानों को लागत मूल्य के हिसाब से दाम मिले इसके लिए सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है—इसके सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार किसानों को अधिकतम प्रोत्साहन मूल्य देगी जिससे कि किसान गेहूँ का अधिकतम उत्पादन कर साध्यस्थिति को मजबूत बनाने में योग्य दे सके।

SHRI F. A. AHMED : So far as the cost of production is concerned, an attempt has been made to make an assessment by the Agricultural University at Ludhiana, and also by the Statistics Department of the Punjab Government. They gave certain figures which were taken into consideration by the prices Commission. The Prices Commission have not accepted these figures as correct. (Interruption)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Has the Commission given any reason for it ?

SHRI F. A. AHMED : They have. If the hon. Members will be pleased to look at the report, they will find the reasons which they have given there. But I can assure the house that so far as the figures regarding the cost of production are concerned, we have taken steps in our Agriculture Ministry to set up a Cell through which we are collecting data, and I hope by next year it will be possible for us to get the actual cost of production of at least two crops, namely, rice and wheat.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Then there should be no price reduction in the meanwhile.

SHRI F. A. AHMED : That is the action which we have taken. So far as the arguments against the reduction of the existing price are concerned, those arguments have been advanced, both for and against the price reduction, and the Government has not yet taken a decision. As I have pointed out, we shall keep in mind the interests of the consumers as well as the producers, while taking a decision after we have heard the views of the Chief Ministers at the Chief Ministers' Conference.

SHRI VIKRAM MAHAJAN (Kangra) : Sir, the prosperity of India depends on the prosperity of the farmer. (Interruption)

AN HON MEMBER : Which farmer ?

SHRI VIKRAM MAHAJAN : The small farmer. If India has to prosper, the farmer who owns land to an extent of an acre, even half an acre or one kanal—he is a small farmer—has to prosper. Whatever price you will fix should be adequate to the farmer also. The prosperity of India depends on the prosperity of the small farmer who owns one acre of land.

With this laudable object in view, for the prosperity of the farmer, the small farmer, the Government appointed the Agricultural Prices Commission. It was a very good object. The object was to give a supporting price. But what did the bureaucracy do? Here is a very interesting item which appeared in the newspapers which I wish to read. It is the statement by the Minister. It says :

"Mr Fakuuddin Ali Ahmed, the Minister, admitted that there was no agriculturist on the Agricultural Prices Commission."

This is how we are going to give relief to the farmer, by appointing a Commission on which there was no agriculturist. It is like appointing a cobbler to perform the function of a dentist. What I want to know if, how this Commission is able to realise the difficulties of the agriculturists. That is why this price has been fixed, when the prices of fertilisers, tractors, water-pumps—everything—have gone up I want to put a few questions to the hon. Minister and I want clear answers on those points.

Tell me what is the percentage of unirrigated land in India, as compared to irrigated land. How many model farms on unirrigated land were taken into consideration by the Agricultural Prices Commission before fixing the price of wheat and any other agricultural product? Which unirrigated farms did they take up, and where are they? What is the cost of production of, say, one quintal of wheat in those farms? Give us specific answers. *(Interruption)* What are you talking, Mr Nahata? You do not know unirrigated land produces wheat.

I wish we have a training school for MPs. Some of them do not know that wheat is grown on unirrigated land. Secondly, what is the percentage of unirrigated land in India? Thirdly, what prevents you from announcing the price policy six months before the present crop came in the market? Will you in future announce your price policy six months before the crop comes into the market? I am told FCI is running at a loss and is not able to manage the show because its cost of procurement and its cost of management have gone up. If that is the object and you want to reduce the procurement price to help the FCI, are you willing to appoint a Commission to go into the working of FCI and see that its cost of procurement and distribution goes down? So that the cut does not fall on the producer? I want a categorical answer to these questions.

SHRI F. A. AHMED The percentage of unirrigated land to irrigated land is 50 per cent so far as wheat is concerned. The production is about 20 per cent. What

factors have been taken into consideration by the Agricultural Prices Commission, I am not aware of. As I have already said, we have no data on the basis of which we can say what is the cost of production of wheat or any other produce in the country. For that purpose, we have taken action in our Ministry through which we are making an effort to collect the data and I hope by next year, it would be possible for us to know the cost of production.

SHRI VIKRAM MAHAJAN : They say they are going to reduce the price but they do not know how the cost of production has been arrived at! It is a rather strange and unsatisfactory answer.

SHRI F. A. AHMED : I have given a clear answer. I do not want to conceal the information which I have with me. *(Interruption)*.

MR. SPEAKER : Mr Mahajan, I know you are a young man set against an old man, but should not go on interrupting like this.

SHRI F. A. AHMED : The present procurement price has been in existence for the last three years. At the time when it was fixed, it was drought season and very high prices were prevailing in the country. It has been possible for the cultivators to grow more wheat and have an incentive for the purpose of bringing more area under wheat cultivation. So, it is apparent that the prices which are now offered are remunerative enough so far as the farmer and cultivator are concerned. So far as the argument against the reduction of the price is concerned, we shall take a decision in the matter after we have heard the Chief Ministers.

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : मैं मन्त्री जी का ध्यान उनके कृषि मन्त्रालय की कृषि नीति की तरफ दिलाना चाहता हूँ। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बूट्य का निर्धारण करने के लिए हमें कुछ समय की जरूरत है। मेरे पास माननीय मन्त्री के ही विभाग के कुछ आंकड़े मौजूद हैं। नेशनल सीड्स कारपोरेशन ने जो सिफारिशें की हैं मैं उन सिफारिशों को मन्त्री जी के सामने पेश करना चाहता हूँ।

[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय गोरखपुर]

में जानना चाहता हू कि क्या मन्त्री जी के मन्त्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ? जो नेशनल सीड्स कारपोरेशन ने गेहूँ के दाम के बारे में बतलाया है कि प्रति एकड़ लागत मूल्य इतना पड़ता है और उसके बारे में जो उसने 13 सिफारिशों की हैं क्या उनकी तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान गया है, यदि गया है तो गेहूँ की प्राइस को फिक्स करते समय वे उन बातों को अपने ध्यान में रखने की कृपा करेंगे ?

मैं अब नेशनल सीड्स कारपोरेशन की गेहूँ की लागत के बारे में की गई सिफारिशों को पढ़ना चाहूंगा। पहली उसकी सिफारिश यह है कि जुलाई चार बार करनी पड़ेगी, प्रति एकड़ लागत मूल्य 60 रुपये। पांच बार सिंचाई करनी पड़ेगी लागत 200 रुपये। उर्वरक 240 रुपये के डालेंगे। बीज 150 रुपये के डालेंगे। गहराई में 150 रुपये, कटाई में 50 रुपये, निराई में 10 रुपये, और छटाई में 10 रुपये पड़ेगे। श्रम व भूमि के रूप में पूंजी 800 रुपये होगी। मजदूरी में 50 रुपये कोस्ट पड़ेगी। रखवाली में 50 रुपये कोस्ट पड़ेगी। कीटनाशक दबाए 60 रुपये देंगे जबकि मही-यातायात में 30 रुपये खर्च आयेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि गेहूँ का कुल लागत मूल्य प्रति एकड़ का जाकर 1760 रुपये पड़ेगा और उपज 40 मन में 45 मन तक होगी। क्या नेशनल सीड्स कारपोरेशन ने यह जो आंकड़े दिये हैं और गेहूँ का प्रति एकड़ लागत मूल्य बताया है उसकी तरफ माननीय मन्त्री का, उन के मन्त्रालय का या जो उन्होंने प्राइस कमिशन नियुक्त किया है उसकी तरफ गया है ?

श्रीमन्, एग्रीकल्चरल प्राइस कमिशन की रिपोर्ट को जोकि मेरे सामने मौजूद है मैंने पढ़ा है। यह मैंने लाइब्रेरी से प्राप्त की है। यह और कहीं से नहीं है। एग्रीकल्चरल प्राइस कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर उसके सी और डी पार्ट को अगर देखा जाय और इस सारी रिपोर्ट को पढ़ा जाय तो एक ही बात

समझ में आयेगी और वह बात यह है कि इन को हैंडलिंग चार्ज में काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। सारे हैंडलिंग चार्ज के पैसे को जो इन्होंने खर्च किया है, सबसिडी में जो पैसा इन्होंने खर्च किया है उस पैसे को यह कोस्ट के ऊपर गेहूँ के खरीद के दाम के ऊपर लगाना चाहते हैं निर्धारित करना चाहते हैं यह इस प्राइस कमिशन की रिपोर्ट है। इसके अलावा इस प्राइस कमिशन को अगर मैं यह कहूँ कि वेस्ट पेपर है तो उसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी। यह उनकी सिफारिश है और उसके ऊपर यह प्राइसेज तय करने जा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हू कि यह बात वास्तविक है या नहीं ?

श्रीमन्, मैं मन्त्री महोदय तथा कृषि मन्त्रालय का ध्यान जो मैंने चीनी की नीति के बारे में कहा था उस ओर दिलाना चाहता हू। मैंने कहा था कि आप की चीनी की पैदावार कम होने जा रही है और मैंने चेतावनी दी थी कि चीनी के भाव ऊँचे जा सकते हैं। 3 रुपये 25 पैसे प्रति किलो से लेकर 5 रुपये प्रति किलो तक जा सकते हैं। आप फुल कंट्रोल कीजिए। सप्लाई अब जहाँ पर बीजों की पैदावार कम होती है तो उसमें वितरण पर कंट्रोल किया जाना चाहिए और डिमांड के आधार पर चीनी की नीति चलाइये। माननीय मन्त्री ने हम समय इस चीज को स्वीकार नहीं किया और परिणाम हम देख रहे हैं कि चीनी के भाव कितने ऊँचे हैं। 60 परसेंट चीनी आप राशन शॉप्स में दे रहे हैं लेकिन 40 परसेंट के लिए मिलमासिको को आपने खुली छूट दे रखी है।

आज चीनी के दाम की क्या हालत हो रही है और कज्यूमर्स किस तरह से परेशान हो रहे हैं। आप ने ही मन् 1968 में नेशनल फूड पालिसी अमल्यार की और सन् 1969 में आपने नेशनल फूड पालिसी के औबर्जैक्टिव्स के लिए कहा कि वे तबदील न किये जायें और उन्हें इस तरह से रिस्टेड किया और यह तीन सिफारिशें आपने की थीं ;

- “(i) to ensure a reasonable price to the producer to sustain his interest in increasing production by adoption of improved methods of cultivation ;
- (ii) to ensure that consumer Prices do not rise unduly and the interests of the vulnerable groups are safeguarded ; and
- (iii) to build up a sizeable buffer stock with a view to avoiding excessive intra-seasonal and intra-seasonal fluctuations in supply and prices.”

गृह आपने तय किया और इस तौर पर अपनी राष्ट्रीय खाद्य नीति बालाई। आज इसका प्रोडक्शन हमारे सामने है। जहां सन् 1966-67 में 11,393 टन आपकी पैदावार हुई वहां सन् 1970-71 में उसकी पैदावार बढ़ कर 23,520 टन हो गयी। आवश्यकता इस बात कि है कि उत्पादन वृद्धि की यह गति धीमी न पड़े और कृषि उत्पादन सतुलित रहे। अतएव यह आवश्यक है कि किसानों को उन की उपज का उसी प्रकार लाभकारी मूल्य दिलाने की व्यवस्था की जाय जिस प्रकार औद्योगिक उत्पादनों के लिए व्यवस्था है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने की ओर कोई ध्यान नहीं है। कज्यूमर्स प्राइस निर्धारित की जाती है और फुटकर मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, आज मजदूर चिल्लाते हैं कि या तो उन्हें और महंगाई भत्ता बढ़ा कर दिया जाय वरना सस्ती दर पर अनाज मुहैया किया जाय लेकिन किसान जो कि अनाज पैदा करने वाला है चूकि वह उतना बोकल नहीं है इसलिए उधर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बारे में कोई अपनी नीति निर्धारित की है ? अपनी मूल्य नीति के सम्बन्ध में कोई उन्होंने बोर्ड या कोई कारपोरेशन बनाया है जो कि हर साल उसको रैब्यु करे और फिर दाम तय करे। मैं

अपने मित्र श्री नाहाटा को बतलाना चाहता हूं कि उनके सोशलिस्ट मुल्कों में भी पोलैंड में भी जबकि क्रीप पैदा होनी है तो पहले उसकी फुटकर नीति निर्धारित होती है, बाजार भाव तय किये जाते हैं। श्री वाजपेयी मेरे साथ उस डेपुटेशन में गये थे और उन्होंने भी उस चीज के बारे में अध्ययन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को उनकी उपज के दाम के बारे में सरकार ने अभी तक कोई नीति निर्धारित क्यों नहीं की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसानों को उचित लाभकारी मूल्य देने की नीति सरकार निर्धारित नहीं करेगी तो फिर किसानों की गेहूं के उत्पादन में रुकी नहीं रहेगी। आज किसान लगातार उत्पादन बढ़ाता जा रहा है और वह ग्रीन रैबोलूशन की तरफ जा रहा है लेकिन इसके साथ ही वह यह अवश्य चाहता है कि उसे सरकार की ओर से लागत मूल्य को देखते हुए उचित मूल्य उसी की फसल का उसे अवश्य मिले क्योंकि आखिर वह भी अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरना चाहता है। इसलिए कृषि उत्पादन का मूल्य तय करते समय इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है और मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह उसमें गेहूं का भाव कम करने जा रहे हैं ? आज उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसान सगठित हो रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उमे आज उत्पादन करने में जो लागत आती है उसे ध्यान में रखते हुए उसे उसकी फसल के दाम मिलने नहीं जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को किसानों को उनकी उपज के उचित और लाभकारी मूल्य देने चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जबाब दें ताकि कज्यूमर्स भी खुश रह सकें और उसके लिए सरकार कज्यूमर्स को गेहूं को सहायता मूल्य पर देने की व्यवस्था कर सकती है।

इस तरह से किसान और कज्यूमर्स दोनों

बुझ रह सकेगे। सरकार को इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए।

SHRI F.A. AHMED : I do not think I am supposed to reply to the hon. Member because the objectives of the policy which the hon. Member has brought before this House are such with which no one differs and which are accepted by everyone. We are also in favour of looking into the interests both of the producer as well as of the consumer. Keeping in view the interests of both the producer and the consumer we shall certainly take a decision on the basis of all the views which have been expressed both in this House as well as in the Rajya Sabha also by the Prices Commission.

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer) : Only the producer's point of view has been placed and not the consumer's ... *(Interruption)*.

12.38 : hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER INDIAN TELEGRAPH ACT, 1885

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KEDAR NATH SINGH): Sir, on behalf of Shri H.N. Bahuguna,

I beg to lay on the Table—

- (i) A copy of the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificates of Proficiency and Licence to operate Wireless Telegraphy) Amendment Rules, 1971 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1470 in Gazette of India dated the 9th October, 1971, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.
- (ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for

delay in laying the above Notification. [*Placed in Library. see No. LT—1713/72*].

U.P.S.C. (EXEMPTION FROM CONSULTATION) AMENDMENT REGULATIONS 1971. AIS (D.A) RULES 1972 AND REPORT OF COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) :

- (1) I beg to re-lay on the Table a copy of the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 1971 (Hindi and English versions) Published in Notification No. G.S.R. 1654 in Gazette of India dated the 6th November, 1971, under clause (5) of article 320 of the Constitution, together with an explanatory note. [*Placed in Library See No. LT-1714/72*]
- (2) I beg to lay on the Table—
 - (i) A Note (Hindi and English versions) explaining the reasons for re-laying the Notification mentioned at (1) above.
 - (ii) A copy of the All India Services (Dearness Allowance) Rules, 1972 (Hindi and English versions) Published in Notification No. G.S.R. 362 in Gazette of India dated the 25th March, 1972, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951. [*Placed in Library. See No. LT-1715/72*]
 - (iii) (a) A copy of the Twelfth Report (Hindi and English versions) of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period 1st July, 1969 to 30th June, 1970, under clause (2) of article 350B of the Constitution.
(b) A statement (Hindi and English versions) showing the reasons for delay in laying the above Report [*Placed in Library, See No. LT—1716/72*]